उत्तराखंड खंड का पुनर्निर्माण

जगदीश चंद्र पन्त

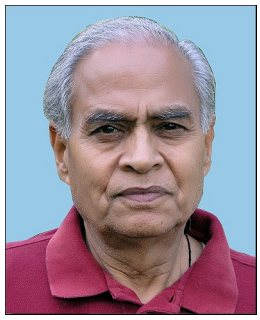

९ नवंबर २००० को जब उत्तराँचल नाम के नए राज्य का निर्माण हुआ तथा उसके कुछ वर्षों बाद जब उसके विकास का खाका बनने लगा अथवा वह येन–केन–प्रकारेण होने लगा, तब ही उस विकास के स्वरुप एवं प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगने आरम्भ हो गए थे| वह एक ऐसी विनाश–शील–विकास की प्रक्रिया थी जो विकास के नाम पर विनाश अधिक करती हुई पाई गई| नई सडकों के निर्माण और पुरानी सडकों के चौड़ी–करण में पहाड़ियों की ढालों को काटने के फलस्वरूप निकलने वाले मलवे से किसानों के खेत तो नष्ट हुए ही, पेड़ों और वनस्पति के विनाश से भूक्षरण से नदियों और बांध–सरोवरों में गाद जमा होती गई, जिसके फलस्वरूप विद्युत–उत्पादन में तो कमी आई ही, हर वर्ष निचले भागों और मैदानी इलाकों में बरसात में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही पाया गया| बड़ी जल–विद्युत–परियोजनाओं की सुरंगों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों के अनियंत्रित प्रयोग से हिमालय का संवेदनशील पहाड़ हिल हिल कर टूटता गया| इस वर्ष के जून माह के मध्य, महाकाल–देवाधिदेव–महादेव–सदाशिव का तांडव नृत्य जब जल–प्रलय के रूप में केदारघाटी में टूट पड़ा, तो पर्वतीय क्षेत्र में पिछले बारह वर्षों के विकास–कार्य का मंडप, देखते देखते ही भर–भरा कर गिरता गया| एक लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों को राहत की प्रतीक्षा में हफ़्तों तक भयंकर कष्ट झेलने पड़े, जिनमें से लगभग ६ हज़ार यात्री या तो लापता घोषित हुए या फिर मृत माने गए| ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्थिति उत्तराखंड के अतीत में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग के रूप में १९९० में थी, शायद अब उससे भी बदतर स्थिति हो गई है| लाखों लोगों की आजीविका जो चार–धाम यात्रा पर आश्रित थी, लगभग ध्वस्त हो चुकी है| हिंदी की पुरानी कहावत याद आती है – चौबे जी छब्बे बनने गए थे, दुबे होकर रह गए| ईशावास्य उपनिषद का १४वां श्लोक इस प्रकार है:–

संभूतिम च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह | विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ||

इसकी व्याख्या युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने इस प्रकार की है:

(इसलिए) सम्भूति (समय के अनुरूप नया सृजन) तथा असम्भूति अर्थात विनाश–(अवांछनीय को समाप्त करना), इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो| विनाश की कला से मृत्यु को पार करके –(अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु–भय से मुक्ति पाकर) तथा सम्भूति (उपयुक्त निर्माण) की कला से अमृतत्व की प्राप्ति की जाती है|

अब प्रश्न यही उठता है की उत्तराखंड के परिपेक्ष्य में उपयुक्त निर्माण किसे कहते हैं? उत्तराखंड की विशिष्टताएँ हैं, उसमें स्थित देश की दो पवित्र नदियों, गंगा और यमुना के उद्गम स्थल तथा उनकी आरंभिक उफनाती हुई जल–धाराएँ, यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे चार धाम, और इनके अतिरिक्त सैकड़ों भव्य देवी–देवताओं के प्राचीन मंदिर जिनमें हर वर्ष लाखों लोग देश भर से आते रहते हैं| यह आवश्यक है की इन की देखभाल हेतु और यात्रियों के लिए, उन तक पहुँचने वाले सभी पैदल मार्गों को बारह मास दुरुस्त रखा जाय, ताकि यदि मोटर मार्ग प्राकृतिक–आपदा से अवरुद्ध हो भी जांय, तो भी उन तक

आसानी से पहुंचा जा सके| यदि ऐसा किया गया होता तो इस आपदा के समय तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालने में आसानी होती और उसमें काफ़ी कम समय भी लगता| पवित्र गंगा और यमुना की जल–धाराओं की निरंतरता, अविरलता और पवित्रता को बनाये रखने के महत्व को समझने की महति आवश्यकता है, जिसे लगातार अज्ञानवश अथवा जानबूझकर भुलाया गया है| यदि ऐसा होता तो आज जिस प्रकार मल की अविरल धाराएँ राजकीय व्यवस्था से उनमें उड़ेली जा रही है, वह न होता|

इस समय राज्य सरकार के सामने चुनोंतियों के पहाड़ खड़े हैं| नए सिरे से सोच कर प्रदेश का पुनर्निर्माण करने का अवसर है, जिसमें पहिले की गलतियों को दुहराने से परहेज़ करना होगा| उजड़े हुए गांवओं को राहत पहुँचाने की अल्प–कालिक योजना और उन्हें पुनःबसाने की दीर्घ–कालिक योजना बनानी होगी, मोटर मार्गों का पुनर्निर्माण पर्यावरण को ध्यान में रख कर करना होगा| विकास–प्रक्रिया को हिमालय की पर्यावरणीय–संवेदनशीलता को ध्यान में रख कर चलाना होगा| रिटायर्ड आई.ए.एस. ऑफिसर्स फोरम, उत्तराखंड द्वारा हाल में ही शासन को दिए गए बिन्दु–वार विचार पत्रक पर यदि राज्य सरकार पर्याप्त ध्यान दे सके, तो काफी कुछ व्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सकेगा| प्रशासनिक–सुधार–आयोग द्वारा ५ खण्डों में एक विस्तृत आख्या राज्य सरकार को, प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाये रखने हेतु ३१ दिसंबर, २००७ को प्रस्तुत की गई थी| उसकी ओर प्रदेश–सरकार के कर्ण–धारों द्वारा आरम्भ से ही बरती गई उदासीनता भी आज प्रदेश की इस दुर्दशा के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है| यदि सामान्य प्रबंधन–व्यवस्था ही नदारद हो तो प्रभावी आपदा–प्रबंधन कैसे होगा? सुधार–आयोग की इसी आख्या के भाग १ के पृष्ठ ६३ पर अध्याय ४, आपदा–प्रबंधन पर ही है जिसमें मात्र १३ पृष्ठ हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए एक घंटे का समय पर्याप्त होगा| आयोग की आख्या के भाग २ का अध्याय ७, पृष्ठ १२९ 'गंगा अभियान ', गंगा–यमुना जैसी नदियों को स्वच्छ बनाये रखने हेतु संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है|

आवश्यकता इस बात की है की यात्रा अवधि में तीर्थ–स्थलों में पहुँचने वाले यात्रियों की संख्या अनियंत्रित न होने पाए, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाय? यह सुझाव है की वैष्णव–देवी– मंदिर–ट्रस्ट की तर्ज़ पर बद्रीनाथ–केदारनाथ–मंदिर–अधिनियम के अबतक के परिपालन की समीक्षा हो| मंदिरों के सुचारु सञ्चालन पर सरकारी नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए| उनके आसपास के क्षेत्रों के व्यवस्थित पर्यावरण–सम्मत विकास पर सरकार ध्यान अवश्य दे, जो उत्तराखंड में दुभाग्य–वश, पिछले १२ वर्षों में नहीं होता पाया गया| सौभाग्य से इस समय देश भर का ध्यान उत्तराखंड के भावी–विकास पर टिका हुआ है और सहयोग देने वाले हाथ चारों ओर से बढे–चले आ रहे हैं| राज्य सरकार इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने में वांछित सावधानी, क्या बरत पायेगी तथा इसे समय–बद्ध तरीके से संभव बनाने में क्या पर्याप्त जन–सहयोग जुटाने में सफल हो पायेगी? अब हम सब को यह देखना भर ही नहीं, उसे सुनिश्चित भी करना होगा !!

दिनांक: २७ जुलाई, २०१३

श्रद्धा कुञ्ज, १५९ फेज १, वसंत विहार, देहरादून.